प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 25.01.2026

अवैध कम्पनी खोलकर पैसा इन्वेस्ट कराने के नाम पर कुल 48 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 आशुतोष कुमार राय मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-54/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 352, 351(3) BNS सम्बन्धित अभियुक्त 1. आदित्य कुमार सिंह पुत्र हुकुम सिंह निवासी 10 एक्स सिद्धार्थनगर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर व 2. पंकज सिंह पुत्र स्व० वृजभूषण सिंह निवासी 433/06 नहर रोड रुस्तमपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण/पूछताछ-

अभियुक्तों द्वारा S.B.G. GLOBAL LCC कम्पनी में निवेश करने व आईडी बनाकर 12 माह में तिगुना पैसे कमाने का लालच देकर वादी व उनके साथियों से करीब 48 लाख रूपये विभिन्न खातो में मंगाया गया। कुछ दिनों तक थोड़ा लाभांश दिया गया उसके बाद पैसे लेकर फरार हो गये। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. आदित्य कुमार सिंह पुत्र हुकुम सिंह निवासी 10 एक्स सिद्धार्थनगर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. पंकज सिंह पुत्र स्व0 वृजभूषण सिंह निवासी 433/06 नहर रोड रुस्तमपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 54/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 352, 351(3) BNS, थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर बीएनएस रामगढ़ताल गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व0उ0नि0 रमेश कुमार कुशवाहा थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 आशुतोष कुमार राय थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. का0 बृजेश चौहान थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर